न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–54 / 2017

राम वरण चौधरी वगैरह.....वादीगण

बनाम

शंकर राय वगैरह .....प्रतिवादी

आदेश

03.11.22 अभिलेख आज वादी द्वारा वादपत्र में संशोधन हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–18.10.2019 तथा उसके तत्संबंधित प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–28.02.2020 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

वादी ने अपने आवेदन में यह निवेदन किया है कि प्रतिवादीगणों के पश्चात्वर्ती निर्माण कार्य के कारण वादपत्र में विवादित भूमि के संबंध में तथा उसके अनुतोष के संदर्भ में संशोधन आवश्यक हो गया है। अतः आवेदन स्वीकृत करते हुए वादपत्र में प्रस्तावित संशोधन दर्ज करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए।

प्रतिवादी ने अपने प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया है कि वादी द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य का एक वर्ष पूर्व का होना बतलाया है, जबकि उनके द्वारा दाखिल लिखित कथन में वर्ष 2007 में पूर्ण होना कथित है। दिनांक–16.05.2017 को 144 के कार्रवाई में भी उस भूमि पर प्रतिवादी के मकान के संबंध मे पुलिस का प्रतिवेदन दाखिल है। वह मकान सीता देवी का था और वर्तमान प्रतिवादी का है। वादी को उक्त भूमि पर कभी दखल–कब्जा नसीब नहीं हुआ और उनका संशोधन खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में विवाद्यक का गठन दिनांक–25.08.2022 को हो चुका है, परन्तु उपरोक्त आवेदन इससे पूर्व दाखिल है। वादी का आवेदन विवादित भूमि के स्वरुप के संबंध में है जिसमें वे निर्माण कार्य एवं दखल–कब्जा के संबंध में अभिवचन अभिलेख पर लाना चाहते हैं जो प्रतिवादी द्वारा स्वीकृत तथ्य है। अत : दखल–कब्जा के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन स्वीकार करने से प्रतिवादी को कोई क्षति कारित नहीं होगी और प्रस्तावित संशोधन उभय पक्षों के मध्य विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। अतः वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त संशोधन आवेदन स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि आज की तिथि से 14 दिनों के भीतर वादपत्र में अपना वांछित संशोधन दर्ज करें एवं प्रतिवादी यदि चाहे तो उस संशोधित अभिवचन का अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल कर सकते हैं।

वाद दिनांक– 17-11-2022 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश
शाहपुर पटोरी